

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन मतानिया आत्मज श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 36 वर्ष, निवासी-एच. आईजी. 5, बिजली आफिस के पास, रिंग रोड नं.-02, टाटीबंध, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पिन्टू (Pintoo) आ. श्री जगदीश प्रसाद तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में पिन्टू मतानिया (Pintoo Matania) दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मोहन मतानिया (Mohan Matania) आ. श्री जगदीश प्रसाद (Shri Jagdish Prasad) रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे मोहन मतानिया (Mohan Matania) आ. श्री जगदीश प्रसाद (Shri Jagdish Prasad) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पिन्टू (Pintoo),
पिन्टू मतानिया (Pintoo Matania)
पिता-श्री जगदीश प्रसाद
(S/o-Shri Jagdish Prasad)
निवासी-एच. आईजी. 5,
बिजली आफिस के पास,
रिंग रोड नं.-02, टाटीबंध, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

मोहन मतानिया
(Mohan Matania)
पिता-श्री जगदीश प्रसाद
(S/o-Shri Jagdish Prasad)
निवासी-एच. आईजी. 5,
बिजली आफिस के पास,
रिंग रोड नं.-02 टाटीबंध रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ कुमार आत्मज श्री डी. सी. कुमार, उम्र 29 वर्ष, निवासी-म. नं.-01, सड़क नं.-2, पंचशील सोसायटी, बी. सेक्टर, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सौरभ कुमार (Saurabh Kumar) दर्ज है, जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम सौरभ कुमार (Sourabh Kumar) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह सही नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सौरभ कुमार (Sourabh Kumar) आ. श्री डी. सी. कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सौरभ कुमार (Saurabh Kumar) पिता-श्री डी. सी. कुमार निवासी-म. नं.-01, सड़क नं.-2, पंचशील सोसायटी, बी. सेक्टर, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सौरभ कुमार (Sourabh Kumar) पिता-श्री डी. सी. कुमार निवासी-म. नं.-01, सड़क नं.-2, पंचशील सोसायटी, बी. सेक्टर, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेश कुमार अग्रवाल आत्मज श्री रमेश कुमार अग्रवाल, निवासी-फ्लैट नं.-204, मेट्रो हाइट्स टावर-1, एयर टेल आफिस के पास, तेलीबांधा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम अक्षित अग्रवाल (Akshit Agrawal) था तथा वह इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था, मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रणव अग्रवाल (Pranav Agrawal) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरे पुत्र को प्रणव अग्रवाल (Pranav Agrawal) आ. श्री शैलेश कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
अक्षित अग्रवाल (Akshit Agrawal) पिता-श्री शैलेश कुमार अग्रवाल निवासी-फ्लैट नं.-204, मेट्रो हाइट्स टावर-1, एयर टेल आफिस के पास, तेलीबांधा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	प्रणव अग्रवाल (Pranav Agrawal) पिता-श्री शैलेश कुमार अग्रवाल निवासी-फ्लैट नं.-204, मेट्रो हाइट्स टावर-1, एयर टेल आफिस के पास, तेलीबांधा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नितीन राजपूत आत्मज श्री राजेश कुमार राजपूत, निवासी-फ्लैट नं.-530, 8th ब्लॉक, ऑरचिड़ अपार्टमेंट, तालपुरी बी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम Tanishi Rajput था। मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम Mayra Rajput रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरी पुत्री को Mayra Rajput आत्मजा श्री नितीन राजपूत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Tanishi Rajput
पिता-श्री नितीन राजपूत
निवासी-फ्लैट नं.-530, 8th ब्लॉक,
ऑरचिड़ अपार्टमेंट,
तालपुरी बी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Mayra Rajput
पिता-श्री नितीन राजपूत
निवासी-फ्लैट नं.-530, 8th ब्लॉक,
ऑरचिड़ अपार्टमेंट,
तालपुरी बी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री आशीष सोनी आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद सोनी, उम्र 19 वर्ष, निवासी-केपीएस मेन रोड, 54/7, नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, एल. आई. सी. पॉलिसी के दस्तावेजों में मेरा नाम देवाशीष वर्मा आ. श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आशीष वर्मा दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम दुर्गा प्रसाद सोनी है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम आशीष सोनी आ. श्री दुर्गा प्रसाद सोनी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे आशीष सोनी (Ashish Soni) आ. श्री दुर्गा प्रसाद सोनी (Durga Prasad Soni) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

देवाशीष वर्मा
(Devashish Verma),
आशीष वर्मा
(Ashish Verma)
पिता-श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा
(S/o- Shri Durga Prasad Verma)
निवासी-केपीएस मेन रोड, 54/7,
नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

आशीष सोनी
(Ashish Soni)
पिता-श्री दुर्गा प्रसाद सोनी
(S/o- Shri Durga Prasad Soni)
निवासी-केपीएस मेन रोड, 54/7,
नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टोपलाल श्रेष्ठ आत्मज श्री प्रेम बहादुर, उम्र 52 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. 1/एच. सड़क-36, से.-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम टोपलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “श्रेष्ठ” जोड़कर पूर्ण नया नाम/उपनाम टोपलाल श्रेष्ठ रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे टोपलाल श्रेष्ठ आ. श्री प्रेम बहादुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
टोपलाल (Toplal) पिता-श्री प्रेम बहादुर (S/o-Shri Prem Bahadur) निवासी-ब्लाक नं. 1/एच. सड़क-36 से.-7, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	टोपलाल श्रेष्ठ (Toplal Shrestha) पिता-श्री प्रेम बहादुर (S/o-Shri Prem Bahadur) निवासी-ब्लाक नं. 1/एच. सड़क-36 से.-7, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक//उपबा/परि./2020/33.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. साल्हेटोला पं. क्र. 2417 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. साल्हेटोला पं. क्र. 2417 विकासखंड-बालोद जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.